पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल - धमाला

ग्राम पंचायत आसेला

ब्लॉक/पंचायत समिति - दोवड़ा

तहसील एवं जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - धमाला गाँव लगभग 200 साल पुराना है। गाँव में धामण (चितकबरे सांप) बहुत थे, इसलिए गाँव का नाम धमाला पड़ गया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक खेत में यह धामण (चितकबरे सांप) बहुत पाए जाते थे, जिससे उस खेत का नाम धमाला पड़ गया। उसी खेत के नाम से गाँव का नाम धमाला पड़ गया। धमाला गाँव की धार्मिक पहचान एक माता जी का मंदिर और एक देवरा (धार्मिक स्थल) है। पहले गाँव बहुत सुंदर था। आस-पास छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं, जिन पर कई प्रकार की वनस्पतियाँ, पक्षी और जानवर रहते थे। अब धीरे-धीरे पहाड़ियाँ नंगी हो गई हैं, और जानवर पलायन कर गए हैं।

गाँव का एक परिचय - धमाला गाँव की ग्राम पंचायत आसेला ब्लाक-दोवड़ा और जिला डूंगरपुर है। जिला मुख्यालय डूंगरपुर गाँव से करीब 15 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में है। धमाला गांव डूंगरपुर-आसपुर मार्ग के पश्चिम में सड़क से करीब 3 किलोमीटर दूर बसा है। धमाला गाँव में - धमाला मुख्य फला, उपला फला, खेरवा फला, मिड़िया फला, बिचका फला, निचला फला और कमदेला फला हैं। गाँव में गाँव सभा का गठन और शिलालेख 20 जनवरी 2018 को हुआ था। गाँव के कुछ लोगों को पेसा कानून की जानकारी है। महिलाओं में पेसा कानून की जानकारी कम है। गाँव में अनुसूचित जाति का एक परिवार(कनिया), बाकी अनुसूचित जनजाति के परिवार रहते हैं, जिनमें मुख्यतः ननोमा, अहारी, कलासुआ, डामोर, रोत और कटारा आदि उपजाति के आदिवासी रहते हैं। गाँव में कई छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं। जिन पर व्यक्तिगत कब्ज़ा है।

आवागमन की स्थिति - धमाला जाने के लिए डूंगरपुर जिला मुख्यालय से ऑटो/जीप और बस मिलती है, जो वस्सी मोड़ तक छोड़ती है। वस्सी मोड़ से गाँव तक पक्की सड़क है, जो इस समय खस्ता हालत में है। सड़क से चार-पाँच किलोमीटर पैदल कच्ची पगडण्डी पर चलने के बाद धमाला गाँव के फलों में पहुँच सकते हैं। वस्सी मोड़ से निजी साधन से भी जा सकते हैं। गाँव में एक कच्ची सड़क है। एक पुरानी सी.सी. सड़क है। वह गुणवत्ता की कमी और मरम्मत के अभाव में उखड़ गई है। गाँव में अधिकाँश कच्चे रास्ते हैं, और ज्यादातर लोगों के घरों तक आने जाने के लिए पगडण्डी ही है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गाँव में आंगनवाड़ी की संख्या एक है और दो प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें करीब 100 बच्चे और पाँच अध्यापक हैं। पाँचवी के बाद बारहवीं तक पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर दूर खेड़ा-कच्छवासा जाना पड़ता है। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चों को डूंगरपुर जाना पड़ता है। गाँव में एक उप-स्वास्थ्य केंद्र है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खेड़ा-

कच्छवासा में है। गम्भीर मरीजों को ले जाने के लिए ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गाँव के मुख्य रास्ते पर लाने में ही बहुत समय लग जाता है। मुख्य सड़क से मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए निजी साधन अथवा 108 एम्बुलेंस से डूंगरपुर लेकर जाते हैं। गाँव में पशु चिकित्सालय नहीं है। वह खेड़ा-कच्छवासा में ही है।

गाँव की समस्याएं -

आवागमन की कमी - गाँव के बाहर कहीं आने-जाने की समस्या बहुत है क्योंकि बस स्टैंड गाँव से 4 किलोमीटर दूर वस्सी मोड़ जाना पड़ता है। वहाँ से ऑटो/बस मिलती है। कभी-कभी ही जीप और टेम्पो ठीक ढंग से बैठने की जगह मिलती है। बाकी समय निजी वाहन लगभग दुगनी ओवरलोड सवारियाँ भरते हैं। सबसे अधिक असुविधा बच्चों, विकलांगों, वृद्धों तथा बीमारों को होती है। गाँव के फलों में जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। उन कच्चे रास्तों से लोगों को अपने घर तक आने-जाने के लिए सिर्फ पगडंडी है। जहाँ-जहाँ चार पहिया वाहन नहीं जा सकते हैं, वहाँ से बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में गाँव के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गाँव का पूरा रकबा 300 हेक्टेयर है, जिसमें कृषि भूमि 270 हेक्टेयर है। चरागाह 50 हेक्टेयर तथा बेनामी भूमि 20 हेक्टेयर है। गाँव की जो समतल और सिंचित भूमि है, उसमें धान और गेहूं पैदा किया जाता है। बाकी जमीन ऊबड़-खाबड़, पथरीली और पहाड़ियों की ढलान वाली है। ऐसी जमीन पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। चारे की कमी के कारण लोग पशुओं को कम पालते हैं। पशुपालन कम होने से गोबर से बनने वाली कंपोस्ट खाद की खेतों में कमी है। इससे खेतों की उर्वरा शक्ति कम है। उन्नत सील बीज का अभाव होने से उत्पादन पर असर पड़ता है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने तथा सरकार द्वारा खेत समतलीकरण योजना की जानकारी के अभाव में गाँव के लोग अपने खेतों का समतलीकरण, पानी रोकने के लिए मेड़बंदी तथा खेत तलावडी नहीं बना पा रहे हैं। चरागाह भूमि पर गाँव के लोगों का कब्जा होने से पशुओं के चारे का भी अभाव है। जिन पहाड़ियों पर और जमीन पर खेती नहीं होती है, वह सब बेकार पड़ी हैं। उस पर योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण करना, सिंचाई की व्यवस्था करके सब्जी की खेती करने की सोच अभी नहीं बन पाई है। गाँव में 3 बड़े तालाब हैं, और एक छोटा तालाब है - मीडिया तलावडी और कबड़ा वाला तालाब (खेरवा फला) और भोड़नारा तालाब और एक कमदेव तलावडी है। गाँव में छोटे बड़े कई नाले हैं लेकिन

बरसात के बाद किसी भी नाले में पानी नहीं टिकता है। गाँव में एक एनीकट है, जिसका नाम धमाला की पाल है। गाँव में 200 साल पुराना एकमात्र सार्वजनिक कुआ है, जिसकी हालत बहुत जर्जर है। उसे पुराना कुआं कहते हैं। इसके अतिरिक्त गाँव में करीब 12 व्यक्तिगत कुँए हैं, लेकिन कोई भी कुआं उपयोग में नहीं आ रहा है। करीब 20 हैंड पंप हैं जिनमें से 8 खराब हैं। करीब 12 निजी बोरवेल हैं। फिर भी गाँव में गर्मियों में पानी का संकट बढ़ जाता है। गर्मी में पीने का पानी दूर-दूर से चल कर लाना पड़ता है। गर्मियों में बोरवेल में भी पानी कम हो जाता है। मार्च के बाद अधिकतर हैंडपंप सूख जाते हैं। पानी के संकट को दूर करने की योजना या कार्य नीति अभी तक गाँव वालों के पास नहीं है।

कृषि एवं रोजगार की स्थिति - गाँव वालों की मुख्य जीविका कृषि है। कुछ ही लोगों की जमीन समतल है। बाकी अधिकांश लोगों की जमीन पथरीली, पहाड़ की ढलान वाली और ऊबड़-खाबड़ है। सिंचाई की व्यवस्था समतल जमीन पर ठीक-ठीक हो जाती है। जिन लोगों की जमीन पहाड़ी की ढलान पर और ऊबड़-खाबड़ तथा पथरीली है, उन्हें खेती करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश लोगों की खेती सिर्फ बरसात में ही हो पाती है। खेती पर जंगली जानवर जैसे नीलगाय, बंदर और जंगली सुअर आदि का खतरा रहता है। वह फसल को नुकसान पहुँचाते रहते हैं। अधिकांश लोग जो खेती करते हैं, वह स्वयं के परिवार के भरण-पोषण के ही काम आती है। खेती में तीन-चार महीने भर का अनाज उत्पन्न होता है। धान, गेहूं, मक्का, चना और उड़द उनकी मुख्य फसल है। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। मनरेगा में मजदूरी की दशा खेती से भी बदतर है। पूरे वर्ष में साठ से सत्तर दिन काम और सत्तर से नब्बे रु. रोज की मजदूरी मिलती है। नरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उनको ना तो सौ दिन पूरे काम मिलता है, और ना ही पूरी मजदूरी मिल पाती है। यह मनरेगा भी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए रोजगार का साधन नहीं बन सका है। बदहाली और भुखमरी से बचने के लिए गाँव के युवा जिले के नजदीक के शहर या बाजार में दैनिक मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर वहाँ उनको कोई काम मिलता है तो ठीक, नहीं तो बिना काम वह वापस घर चले आते हैं। दूसरे दिन फिर उसी मजदूर मंडी में पहुँच जाते हैं। जिले के निकट के शहरों में काम नहीं मिलने से लोग गुजरात के शहरों जैसे अहमदाबाद, सूरत, वापी में मजदूरी करने जाते हैं। वहाँ वे ढाई-तीन सौ रु. की दैनिक मजदूरी पर काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मनरेगा में सामान्यतया वार्ड पंच लोगों का आवेदन तो करवाते हैं, लेकिन आवेदन की रसीद नहीं देते हैं। मस्टर-रोल में फर्जी नाम डाल देने से उनको पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती है। पूरे 100

दिन काम नहीं मिलने से श्रमिक कार्ड से भी लोग वंचित हो जाते हैं। गांव में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की संख्या मात्र 2 हैं, जो शिक्षा विभाग में अध्यापक हैं। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद गाँव के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। आर्थिक-स्थति कमजोर होने के कारण परिवार का भरण-पोषण करने में बहुत कठिनाई होती है।

गाँव में उपलब्ध संसाधनों की हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल एनिकट तालाब कुआं निजी बोरवेल हैंड पंप नाले	गाँव में 3 बड़े तालाब हैं, और एक छोटा तालाब है- मीडिया तलावडी और कबड़ा वाला तालाब (खेरवा फला) और भोड़नारा तालाब। एक कमदेव तलावडी है। गाँव में छोटे-बड़े कई नाले हैं, लेकिन बरसात के बाद किसी भी नाले में पानी नहीं टिकता है। गाँव में एक एनीकट है, जिसका नाम धमाला की पाल है। गाँव में 200 साल पुराना एकमात्र सार्वजनिक कुआ है, जिसकी हालत बहुत जर्जर है। उसे पुराना कुआं कहते हैं। करीब 12 व्यक्तिगत कुँए हैं, लेकिन कोई भी कुआं उपयोग में नहीं आ रहा है। करीब 20 हैंडपंप (जिनमें से 8 खराब हैं) और करीब 12 निजी बोरवेल हैं। फिर भी गाँव में गर्मियों में पानी का संकट बढ़ जाता है। गर्मीं में पीने का पानी दूर-दूर से चल कर लाना पड़ता है। गाँव के पीने के पानी में फ्लोराइड की भी मात्रा ज्यादा पाई जाती है।	पहाड़ के ढलान पर वर्षा जल संरक्षण किया जा सकता है। वर्षा जल संरक्षण से पानी रुकने से गाँव में सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जा सकती है और गिरते भूजल स्तर को रोका जा सकता है। भूजल स्तर ऊँचा होने से कुओं में भी वर्ष भर पानी रहने से पीने के पानी और सिंचाई की संभावना बढ़ जाएगी। तालाबों और पुराने कुओं की मरम्मत और गहरीकरण करके अशुद्ध पीने के पानी से मुक्ति भी पाई जा सकती है। हैंडपंप की मरम्मत करके लोगों को गर्मियों में पानी के संकट से छुटकारा दिलाया जा सकता है और सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की जा सकती है।
जमीन कृषि भूमि बिलानाम भूमि चारागाह	गाँव में खेती की जमीन ज्यादातर पथरीली और पहाड़ी है। कुछ समतल खेत भी हैं, जो पहाड़ियों के नीचे हैं। यह समतल खेत बहुत कम लोगों के पास हैं। जिनके पास समतल जमीन है, वही धान	खेती, वृक्षारोपण, मछलीपालन की बेहतर योजना और प्रबंधन से गाँव के लोगों की आय बढाई जा सकती है। जो जमीन सिंचित है, उस पर खेती करने तथा संपूर्ण असिंचित

	और गेहूं की फसल पैदा करते हैं। बाकी जमीन में केवल बरसात के मौसम में होने वाली फसल मक्का, उड़द, अरहर आदि की खेती हो पाती है। खेती से तीन-चार महीने भर के खाने का अनाज पैदा होता है। बाकी समय खरीदकर खाना पड़ता है। छोटी-छोटी पहाड़ियाँ है, जिन पर पेड़ नहीं हैं। गाँव की सभी पहाड़ियों पर लोगों का व्यक्तिगत कब्ज़ा है। गाँव की बिला नाम और चरागाह भूमि पर भी गाँव के लोगों का कब्जा है।	जमीन पर बागवानी करने से गाँव के लोगों की आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। चारागाह की भूमि का बेहतर प्रबंधन करने और उन्नत नस्ल के दुधारू जानवर पालने की बेहतर योजना से लोग दूध के व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। गाँव के नाले और तालाब में पानी रोकने की व्यवस्था करके सिंचाई की भी व्यवस्था की जा सकती है। यह सब करने के लिए गाँव के लोगों को जागरूकता और सामूहिक भावना की बेहद जरूरत है। अगर योजनाबद्ध तरीके से कृषि और अन्य व्यवसाय के लिए लोग योजना बनाना शुरू करें तो गाँव से किशोरों और युवाओं के पलायन को रोका जा सकता है और गाँव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गाँव में लोग खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बैल तथा बकरी भी पालते हैं। चारा गाँव के अधिकाँश लोगों के पास मार्च तक खत्म हो जाता है। मार्च के बाद लोगों को चारा बाजार से खरीद कर खिलाना पड़ता है। बरसात होने पर जब घास उगती है, तब जाकर उनको चारा खरीदने से राहत मिलती है। चारे के अभाव में पशु गर्मियों में बहुत कमजोर हो जाते हैं। चारे की कमी के कारण गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो से ढाई लीटर दूध देती है। चारे की कमी के साथ-साथ अच्छी नस्ल का भी नहीं होना दूध कम देने का कारण है। गाँव के आधे चारागाह पर लोगों का कब्जा है और बचे हुए चारागाह की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। उसमें चारा प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। गाँव में जंगल की जमीन में कटीले बबूल और झाड़ियाँ होने से चारा कम ही मिल पाता है।

आजीविका के साधनों की कमी - गाँव में खेती और मनरेगा में मजदूरी करने के अलावा लोगों को गाँव में कोई अन्य काम नहीं मिलता है। एक तो कृषि-जमीन की कमी, दूसरे पूरे वर्ष भर एक ही फसल होने से 2 से 6 महीने खाने भर का ही अनाज पैदा होता है। सरकारी राशन की दुकान से प्रति व्यक्ति प्रति महीने मात्र 5 किलो गेहूं के आलावा कुछ भी नहीं मिलता है। परिवार के साल भर के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त अनाज नहीं होता है। खेती में पूरे वर्ष खाने भर का अनाज न होने तथा मनरेगा में पूरे वर्ष काम न मिलने एवं मजदूरी भी कम मिलने के कारण लोग नजदीकी शहरों डूंगरपुर और सागवाड़ा दैनिक मजदूरी के लिए रोज घर से जाते हैं और शाम को वापस घर लौट आते हैं। महीने भर में उन लोगों को वहाँ 15 से 20 दिन ही काम मिल पाता है। मनरेगा में मजदूरी भी 60-70 दिन ही मिलती है और मजदूरी भी सौ रुपए से कम ही मिलती है। इसलिए गाँव के ज्यादातर युवा दूसरे प्रांतों खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में मजदूरी की तलाश में चले जाते हैं। वहाँ भी उनको मुश्किल से ढाई सौ से तीन सौ रु. तक की दैनिक मजदूरी पर काम करना पड़ता है। किसी तरह से लोग अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति -गाँव में करीब 20 घरों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। गाँव के कुछ घरों में शौचालय नहीं बना हुआ है। जो शौचालय बने हैं, वो भी नाम मात्र के बने हैं। उनकी दीवारे सीमेंट की चद्दरों की अथवा बहुत पतली हैं। कुछ शौचालय पर छत भी नहीं है। राशन की दुकान पर गेहूं के अलावा कुछ नहीं मिलता है। राशन की दुकान पर पोस मशीन भी समस्या ग्रस्त रहती है। अंगूठे का निशान कभी-कभी नहीं मिलता है या इंटरनेट की समस्या होती और लंबी लाइन लग जाती है। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र हो चुकी है, पर वे जरूरी औपचारिताओं की कमी के चलते पेंशन नहीं ले पा रहे हैं।

गाँव सभा द्वारा चयनित समस्याएं -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक / व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	रास्ते की समस्या	सार्वजनिक	गाँव में छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों के कारण जमीन ऊंची-नीची है, जिसके कारण गाँव के लोगों को एक फले से दूसरे फले में आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाँव में रास्ते का निर्माण पंचायत द्वारा किया जाता है। कच्चे रास्ते और सी.सी. रोड निर्माण पंचायत द्वारा मानक के अनुसार नहीं करने से समस्या जस की तस रहती है। बरसात में लगभग सभी रास्ते टूट-फूट जाते हैं। मनरेगा के तहत जो सड़के बनती हैं, उसमें भी गाँव वालों की भागीदारी के बजाय निजी कॉन्ट्रैक्टर (ठेकेदार) से बनवा ली जाती है। कई बार सड़क के बीच में से लोग पाइपलाइन अपने खेतों की सिंचाई के लिए निकालते हैं और बीच में सड़क खोद देते हैं। यह भी रास्ते की समस्या का एक कारण बनता है। ठेकेदार द्वारा अच्छी गुणवत्ता का सामान उपयोग	रास्ते के संकट से निपटने के लिए गाँव सभा द्वारा जहाँ रास्ते नहीं हैं, वहाँ के लिए प्रस्ताव लिया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक में गाँव सभा के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करके पंचायत स्तरीय एक्शन प्लान में रास्ते के सभी प्रस्ताव शामिल करने की गाँव सभा ने योजना बनाई है और सतर्कता समिति का भी गठन किया है। सतर्कता समिति गाँव सभा में होने वाले सभी कार्यों की निगरानी करेगी। मनारेगा के तहत सड़क निर्माण के पूर्व सूचना गाँव वासियों को देने से वे सड़क खोदने का कार्य नहीं करेंगे और निर्माण के समय ही पाईप डाल लेंगे। साथ ही साथ गाँव में रास्ते के लिए गाँव वालों की जमीन न देने के जो विवाद है, उसे भी निपटाने का गाँव सभा की बैठक में निर्णय लिया गया है।	तात्कालिक

			किया जा रहा है या नहीं, अथवा समय से कार्य हो रहा है या नहीं, इस पर गाँव वालों की कोई निगरानी नहीं होना भी रास्ते की समस्या का एक कारण है।		
2	शिक्षा व्यवस्था का ठीक नहीं होना	**सार्वजनिक**	गाँव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 5 अध्यापक हैं। अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है। बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। विद्यालय में बच्चों को पीने के पानी के लिए हैंडपंप है। उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, फिर भी बच्चे उसी पानी को पीते हैं। इससे बच्चों में पेचिश रोग होने की संभावना बनी रहती है। विद्यालय भवन की मरम्मत की भी आवश्यकता है, क्योंकि बरसात के मौसम में भवन से पानी टपकता है।	गाँव सभा गठन के बाद गाँव सभा की बैठक विद्यालय भवन की मरम्मत तथा पानी की व्यवस्था ठीक करने, अध्यापकों की नियुक्ति और विद्यालय में बच्चों के शुद्ध पानी पीने के लिए आर.ओ.(रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरीफायर) प्लांट लगाने के लिए प्रस्ताव लिए गए हैं।	**तात्कालिक**
3	कृषि समस्या	**सार्वजनिक**	गाँव की कृषि व्यवस्था लगभग प्रकृति पर निर्भर है। ऊबड़-खाबड़ पथरीली और पहाड़ियों की ढलान वाली जमीन पर जो खेती होती है, उसमें उत्पादन	कृषि उत्पादन बढाने के लिए खेत का समतलीकरण करना। बरसात के पानी को रोकने के लिए नालों पर एनीकट निर्माण और पुराने एनिकट की मरम्मत के अलावा तालाबों का	**तात्कालिक**

			बहुत ही कम होता है। संकट तब और बढ़ जाता है, जब उन्नतशील बीज और खाद भी नहीं मिलती है। गाँव की बहुत सारी जमीन भी बेकार पड़ी हुई है। गाँव से निकलने वाले नाले में पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से नाले का सारा पानी निकल जाता है। जिन लोगों के पास समतल जमीन और पंपसेट हैं, वही लोग अपने खेतों में धान और गेहूं पैदा कर पाते हैं।	गहरीकरण और मरम्मत। खेत तलावड़ी, मेड़बंदी कच्चे डैम निर्माण करके गाँव में सिंचाई के संकट का समाधान किया जा सकता है। इससे पूरे गाँव में कृषि का उत्पादन बढाया जा सकता है। वृक्षारोपण, मछली पालन करके गाँव के सभी लोगों की आय को बढाया जा सकता है। खेती के साथ-साथ बागवानी पर भी ध्यान देकर और उन्नतशील बीज तथा खाद की उपलब्धता के साथ कृषि जमीन की उर्वराशक्ति को बढ़ाकर उत्पादन में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।	
4	काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना	**सार्वजनिक / व्यक्तिगत**	गाँव में मात्र कुछ लोगों को ही खातेदारी का हक मिला है। गाँव के लोग सैकड़ों साल से गाँव में बसे हुए हैं, जिस भूमि पर वह काबिज है। वह उनकी खातेदारी में दर्ज नहीं है। जमीन का हक नहीं मिलना आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। जमीन सुधार की योजना सरकार के पास नहीं है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण किसानों को उनकी अपनी काबिज भूमि पर अधिकार पत्र देना	गाँव के लोगों ने काबिज भूमि पर पट्टे का दावा तो पहले से कर रखा है, लेकिन उसकी पैरवी के प्रति लोगों में उदासीनता के चलते पट्टे नहीं मिल रहे हैं। गाँव सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि गाँव के लोग जितनी भूमि पर काबिज हैं, उसके दावे की फाइल तैयार करके गाँव सभा द्वारा दावा कराया जाएगा और जिनके पट्टे मिल गए हैं, उनके नियमन के दावे की भी जिम्मेदारी गाँव सभा द्वारा कराने का निर्णय लिया गया	**दीर्घकालिक**

			राजस्व विभाग ने बंद कर दिया है। किसानों में एक प्रकार से भय पैदा हो गया है, इसलिए भी खेती की बेहतर योजना बनाने के प्रति उदासीनता व्याप्त है। उनको यह भय बना रहता है कि सरकार कब उनकी जमीन छीन लेगी। ऐसी आशंका उनको हमेशा सताती रहती है।	है। जिसके लिए गाँव सभा ने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है।	
5	पेयजल की समस्या	**व्यक्तिगत**	गाँव में गर्मियों के दिनों में लोगों को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ता है। भू-जल स्तर नीचे चले जाने से ज्यादातर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। ट्यूबवेल में भी पानी कम हो जाता है। ज्यादा नीचे के पानी पीने से पानी में फ्लोराइड की मात्रा भी बढ़ जाती है। गर्मियों में गांव के लोगों को अपने और जानवरों के लिए पानी दूर से लाना पड़ता है। गाँव में बरसात के पानी को रोकने की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं होने से संकट लगातार बढ़ रहा है।	बरसात के पानी को पूरे वर्ष नाले और तालाब में रोकने की योजना बनाना। बरसात के पानी को फिल्टर करके पीना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**
6	**आवास निर्माण, पेंशन और**	**व्यक्तिगत**	गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने लिए आवास नहीं बना सकते हैं।	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण के लिए आवेदन कराना और उसके	**तात्कालिक**

	उसके भुगतान संबधी समस्या		गाँव में जिन लोगों को आवास की बेहद जरूरत है, उनके आवास नहीं बने हैं। जो सक्षम लोग हैं, उनके आवास बन गए हैं। जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं, उनमें से भी कुछ लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। यही समस्या शौचालय के लिए भी है। लोगों के शौचालय निर्माण की बकाया राशि का भुगतान नहीं होता है। गाँव के लोगों को पेंशन की भी समस्या है। पहचान पत्र में उम्र कम होने से वह पेंशन नहीं ले पाते हैं। उम्र संशोधन कराने की जानकारी नहीं होने के कारण तथा उम्र प्रमाण पत्र जमा नहीं करने से कई लोग पात्र होते हुए भी पेंशन योजना से वंचित हैं।	लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - कच्चे रास्ते पक्की सड़क सीसी सड़क मजदूर नरेगा	समय पर सड़क मरम्मत न करना। सरपंच द्वारा होने वाला भ्रष्टाचार। मानदेय अनुसार मजदूरी न मिलना। कच्ची सडकों को सीसी सड़क में तब्दील न करना। पगडण्डी की जगह कच्चे रास्तों का निर्माण न होना। लोगों का सड़क निर्माण के लिए जमीन देने में आनाकानी करना।	मनरेगा के तहत रास्तों का निर्माण करना। इससे लोगों को रोजगार मिल सकता है। रास्ते ठीक होने से आवागमन सुचारू होगा। बच्चे समय से विद्यालय और मरीज समय से अस्पताल पहुँचेंगे। छोटे उद्योग धंधे शुरू किये जा सकते हैं।	गाँव सभा को मजबूर करना। गाँव सभा द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना।
जल नाला कुआं बोरवेल हैंडपंप तालाब	कुएं और हैंडपंप की समय-समय पर मरम्मत न करना। बारिश के पानी को संग्रहित करने की योजना का न होना। निजी बोरवेल का अधिक उपयोग। गर्मी के दौरान जल-स्रोतों का पानी सूख जाना।	पुराने कुएं गहरे कराये जा सकते हैं। ख़राब पड़े हैंडपंप की मरम्मत कराई जा सकती है। जल-स्रोतों में पानी को रीचार्ज किया जा सकता है। मनरेगा के तहत बारिश के पानी को संग्रहित करने की योजना पर कार्य किया जा सकता है।	पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकना। गाँव सभा को मजबूत करना। बोरवेल के उपयोग पर नियंत्रण। बारिश के पानी को संग्रहित करने के बारे में जागरूकता फैलाना।

		नालों पर चेक डैम निर्माण किया जा सकता है। तालाब गहरीकरण किया जा सकता है। नालों से खेतों तक पतली नालियाँ बनाई जा सकती हैं।	
आजीविका के साधन **कृषि** **पशुपालन** **मनरेगा**	मनरेगा के प्रति लोगों की उदासीनता। मानदेय के अनुसार मजदूरी न मिलना। कृषि भूमि का ऊबड़-खाबड़ होना। पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध न होना। रोजगार के अन्य साधनों के उपयोग के लिए किसी अन्य योजना का न होना।	भूमि समतलीकरण कर उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। मनरेगा में गाँव सभा द्वारा सामूहिक कार्य का आवेदन किया जा सकता है। गाँव के विकास के लिए आवश्यक योजना गाँव सभा द्वारा बनाई जा सकती है। सब्जी उगाई जा सकती है। छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी, मुर्गी और मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। मछलीपालन किया जा सकता है।	पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। गाँव सभा को मजबूर करना। गाँव में रोजगार की समस्या पर खुली चर्चा करना। मनरेगा के प्रति लोगों को जागरूक करना।
भूमि **चारागाह** **बिलानाम** **जंगल**	काबिज भूमि पर खातेदारी हक़ न मिलना। खाली पड़ी जमीन का	वन व बिलानाम भूमि पर अधिकार पत्र का दावा किया जा सकता है।	वन और बिलानाम भूमि के मुद्दे पर लोगों को लम्बे समय तक जोड़े रखना। वन व चारागाह के प्रबंधन

	जीविका के साधन के रूप में प्रयोग न करना। जंगल में सिर्फ बबूल और कँटीली झाड़ियों का होना। चारागाह की जमीन पर अवैध कब्ज़ा।	खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण कराया जा सकता है। जंगल में फलदार वृक्ष और लघुवन उपज के पौधे लगाए जा सकते हैं। मनरेगा के तहत कँटीली झाड़ियों को हटाया जा सकता है और उनकी जगह फलदार वृक्ष लगाये जा सकते हैं।	के प्रति लोगों को जागरूक करना। गाँव सभा को मजबूत बनाना। वन प्रबंध समिति को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। चारगाह जमीन पर अवैध कब्जे हटाना। सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जे हटाना।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

नजरिया नक्शा

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

प्रस्ताव क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या	लाभार्थी परिवारों की संख्या
1	चेक डैम निर्माण के संबंध में	41	41
2	तालाब निर्माण/गहरीकरण के संबंध में		गाँव के समस्त परिवार
	1. कबड़ा वाला तालाब का गहरीकरण और रिंगवाल का निर्माण	1	
	2. मीडिया वाला वाला तालाब का गहरीकरण और रिंगवाल का निर्माण	1	
	3. कबड़ा वाली तलावडी का गहरीकरण और रिंगवाल का निर्माण	1	
3	रास्ता निर्माण के संबंध में	3	गाँव के समस्त परिवार
	1. डेकली माता से कमदला फला मुख्य रोड तक	1	
	2. जालू कुआं से माताजी निचला फला तक	1	
	3. आंगनवाड़ी केंद्र से कम दिला तलावडी होता हुआ गुना गांव की सीमा तक सीसी सड़क	1	
	घर से मुख्य सड़क तक	8	-
	1. पन्नालाल होम चंद ननोमा डूंगरी फला	1	-
	2. हूरजी/थावरा ननोमा - खेरवा फला	1	-
	3. गणेश नारायण - नई बस्ती	1	-
	4. शंकर भांजी कलासुआ - मिडीया फला	1	-
	5. भरत लाल डामोर पूंजी लाल डामोर - ऊपला फला	1	-
	6. हाग जी/खेम जी रोत - बड़का फला	1	-
	7. लालू/वाला डामोर - नई बस्ती फला	1	-
	8. कांती/हाजा डामोर - बीचला फला	1	-
4	पशु बाड़ा निर्माण के संबंध में - गांव के सभी	1	--

	परिवार के लिए पशु बाड़ा का निर्माण		
5	खेत समतलीकरण के संबंध में	99	99
6	हैंडपम्प मरम्मत	3	-
	नए हैंडपम्प	21	-
7	खेत तलावडी निर्माण	23	23
8	कुआं गहरीकरण और मरम्मत	25	-
9	एनिकट निर्माण	2	गाँव के समस्त परिवार
10	आवास	15	
11	वृद्धावस्था पेंशन	15	
	विधवा	2	
	विकलांग पेंशन	1	
12	व्यक्तिगत पट्टे		गाँव के समस्त परिवार

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी

गाँव सभा करते लोग

प्रस्ताव जमा करते गाँव के लोग

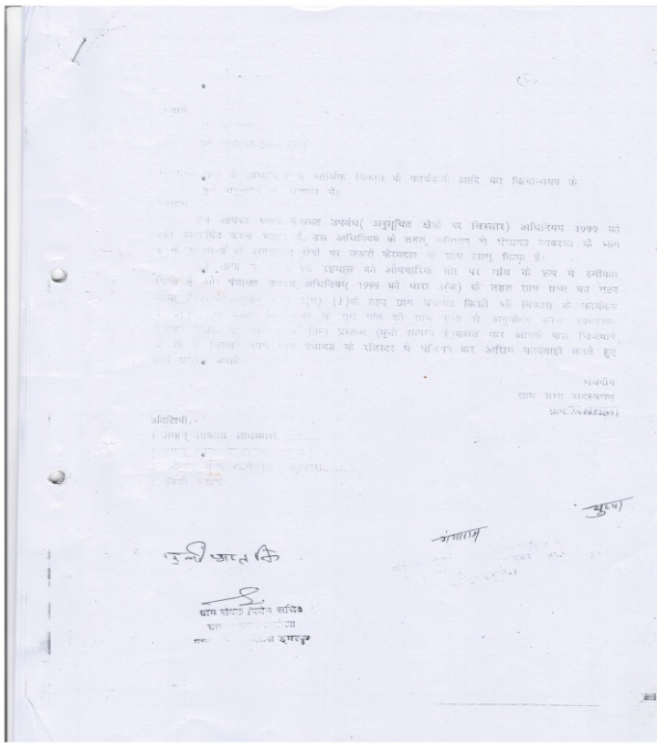

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

नियम 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/ उप समिति .... बैंच ....

बैठक होने की दिनाङ्क	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम
1	2	3	4
9-5-2018		अध्यक्ष- पुष्पा देवी	

पेसा कानून 1999, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अन्तर्गत आज दिनांक 9-5-2018 धमाला गाँव की गाँव सभा की बैठक दशा माता का पीपला पर आयोजित की गयी। गाँव सभा में मौजूद गाँव वासियों ने पुष्पा देवी को अध्यक्ष चुना जिनकी अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही की गयी। गाँव सभा की बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गयी और उनका अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव जो रखा गया और चर्चा की गयी

1 चेकडैम निर्माण के सम्बन्ध में
2 तालाब निर्माण और गहरीकरण के सम्बन्ध मे
3- रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में
4- पशु वाडा निर्माण के सम्बन्ध में
5 खेत समतलीकरण के सम्बन्ध मे
6. नया हैंडपम्प लगाने और पुराने की मरम्मत के सम्बन्ध में
7- खेत तलावडी निर्माण के सम्बन्ध मे
8- पुराने कुए की मरम्मत और गहरीकरण के सम्बन्ध मे
9- एनीकट निर्माण के सम्बन्ध में
10- पी.एम. और सी. एम. आवास निर्माण के सम्बन्ध मे
11- पेंशन के सम्बन्ध में

प्रस्ताव प्रथम पेज

..रा. नियम 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/ उप समिति ....

बैठक होने की दिनाङ्क	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम
1	2	3	4
7/5/18	कक्षा भवन का पीपला	अध्यक्ष - पुष्पा देवी	

गांव सभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिए निम्नलिखित लोगों को अधिकृत किया जाता है।

1. पुष्पा देवी
2. हेमचन्द ननोमा
3. नाथाराम कलासुआ
4. रामचन्द्र अहारी
5. वरिम रोत

अध्यक्ष द्वारा गांव सभा की बैठक में उपस्थित लोगों को धन्यवाद देकर गांव सभा की बैठक का समापन किया।

हस्ताक्षर

हेमचन्द ननोमा — गंगाराम (सचिव) — पुष्पा

जि. डूंगरपुर

प्रस्ताव अंतिम पृष्ठ

विलेज प्लैनिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

नाम	**फोन न.**
गंगाराम/लालजी कलासुआ -	9929102716
पुष्पा देवी/पूंजीलाल डामोर -	9116343501
होम चंद थावरा -	8769764042
विरम भाई -	9829291344